राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/2024/50/2024 दिनांक- 03/04/2024

प्रति

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.सं. 50 / 2024 उनवान देवकिशन पुत्र रामसुख धाकड़ निवासी सियाणा बनाम हीरा पुत्र भैरु धाकड़ निवासी सियाणा, देवकरण पुत्र भैरु धाकड़ निवासी सियाणा,लक्ष्मीनारायण पुत्र भैरु धाकड़ निवासी सियाणा, देवी पुत्र मोतीलाल धाकड़ निवासी सियाणा, सोहन पुत्र हीरालाल धाकड़ निवासी भगवानपुरा, सोनारायण पुत्र रामकिशन धाकड़ निवासी सियाणा, लादू पुत्र गोकुल धाकड़ निवासी सियाणा, माधू पुत्र मोहन धोबी निवासी सियाणा, मांगी पुत्र मोहन धोबी निवासी फलासिया, रामधन पुत्र मोहन धोबी निवासी फलासिया, रामेश्वर पुत्र मोहन धोबी निवासी फलासिया, सोहन पुत्र छोटू धाकड़ निवासी सियाणा, हरनाथ पुत्र हीरा धाकड़ निवासी सियाणा, सीताराम पुत्र कल्याण धाकड़ निवासी सियाणा, बालाबक्श पुत्र कल्याण निवासी सियाणा, मदन पुत्र कल्याण धाकड़ निवासी सियाणा, भैरु पुत्र जगरूप धाकड़ निवासी सियाणा, रामस्वरूप पुत्र सूरजमल बेरवा निवासी सियाणा, बालू पुत्र सूरजमल बेरवा निवासी सियाणा, रामेश्वर पुत्र रामरतन निवासी सियाणा, मगना पुत्र खनीराम धाकड़ निवासी सियाणा, सोहन पुत्र बालू धाकड़ निवासी सियाणा, प्रभु पुत्र रामरतन धाकड़ निवासी सियाणा, सुरेश पुत्र रामरतन धाकड़ निवासी सियाणा, कुलचन्द पुत्र सोनारायण धाकड़ निवासी सियाणा, देवकिशन पुत्र देवी धाकड़ निवासी सियाणा, गोपाल पुत्र देवी धाकड़ निवासी सियाणा, रामस्वरूप पुत्र देवी धाकड़ निवासी सियाणा, शंभू पुत्र देवी धाकड़ निवासी सियाणा, छोटू पुत्र कल्याण धाकड़ निवासी जवानपुरा, जगरूप पुत्र कल्याण धाकड़ निवासी जवानपुरा, प्रमोद पुत्र सीताराम धाकड़ निवासी जवानपुरा, रामपाल पुत्र कल्याण बेरवा निवासी इन्दोकिया, बद्री पुत्र कल्याण बेरवा निवासी इन्दोकिया, रामचंद्र पुत्र कल्याण बेरवा निवासी इन्दोकिया, भागचन्द पुत्र रामलाल बेरवा निवासी सियाणा, भुवाना पुत्र छीतर धाकड़ निवासी सियाणा, शंकर पुत्र काना धाकड़ निवासी सियाणा, लक्ष्मण पुत्र काना धाकड़ निवासी सियाणा, हरिचंद पुत्र काना धाकड़ निवासी सियाणा, हीरा पुत्र भैरु धाकड़ निवासी सियाणा, देवकरण पुत्र भैरु धाकड़ निवासी सियाणा, लक्ष्मीनारायण पुत्र भैरु धाकड़ निवासी सियाणा, मगना पुत्र खन्नीराम धाकड़ निवासी सियाणा, प्रभु पुत्र रामरतन धाकड़ निवासी सियाणा, सुरेश पुत्र रामरतन धाकड़ निवासी सियाणा, देवकिशन पुत्र देवी धाकड़ निवासी सियाणा, गोपाल पुत्र देवी धाकड़ निवासी सियाणा, रामस्वरूप पुत्र देवी धाकड़ निवासी सियाणा, शंभू पुत्र देवी धाकड़ निवासी सियाणा, तहसीलदार जहाजपुर की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम सियाणा प.ह. फलासिया आराजी सं. 66/2, 81/1, 83/1,299/1, 439/1, 442/1, 445, 455/1, 457/1, 484/1, 484/4, 630, 639/1, 670, 671, 706/1, 882/1, कुल किता 17 रकबा 6.2524 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक बावड़ी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 6000 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 600 रूपये राजकोष में जमा करावे । पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है । पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर जिला शाहपुरा

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

देवकिशन पुत्र रामसुख धाकड़ निवासी सियाणा

बनाम

हीरा पुत्र भैरू धाकड़ निवासी सियाणा वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए. मुकदमा नंबर 50 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नंबर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुवे
03-04-24	प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम सियाणा प.ह. फलासिया आराजी सं. 66/2, 81/1, 83/1,299/1, 439/1, 442/1, 445, 455/1, 457/1, 484/1, 484/4, 630, 639/1, 670, 671, 706/1, 882/1, कुल किता 17 रकबा 6.2524 हेक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ौसी हैं। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है। ग्राम सियाणा प.ह. फलासिया आराजी सं. 66/2, 81/1, 83/1,299/1, 439/1, 442/1, 445, 455/1, 457/1, 484/1, 484/4, 630, 639/1, 670, 671, 706/1, 882/1, कुल किता 17 रकबा 6.2524 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक बावड़ी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 6000 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 600 रूपये राजकोष में जमा करावे। **पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया** जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। **तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है।** पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें। आदेश आज दिनांक 03/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जहाज़पुर (शाहपुरा)	